

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, (साचीज)
उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 20 दिसम्बर, 2018

विषय:- आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन को उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1368/पॉच-1-2018-5(19)/2018 दिनांक-13.09.2018 के संदर्भ में आपके पत्र सं०-एन०एच०पी०एम०/पत्रा-431/2018-19/, दिनांक 03.10.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक-13.09.2018 द्वारा की गयी व्यवस्था को निम्नवत् परिवर्तित किया जाता है:-

- (1)- योजना का नाम-"आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन" के स्थान पर "आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" किया जाता है।
- (2)- आयुष्मान मित्र का नाम (बिन्दु सं०-ठ):-"आयुष्मान मित्र" के स्थान पर "प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र" किया जाता है।
- (3)- गवर्निंग कौन्सिल का स्वरूप:- (बिन्दु सं०-छ) के क्रम सं०-3, 4, 5, 6 एवं 7 में "सचिव" के स्थान पर "अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/नामित सदस्य" किया जाता है।
- (4)- शासनादेश संख्या-1368/पॉच-1-2018-5(19)/2018 दिनांक-13.09.2018 के अन्य शर्तों/नियम यथावत रहेंगे।

2- कृपया तदनुसार "आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए योजना की प्रगति से समय-समय पर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

(प्रशान्त त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन।

- 4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
- 9- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन।
- 10- सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र० शासन।
- 11- स्टाफ अफसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 12- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उ०प्र०, लखनऊ।
- 13- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
- 14- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ०प्र०, लखनऊ।
- 15- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।
- 16- परियोजना निदेशक, यू०पी०एच०एस०एस०पी०, उ०प्र०, लखनऊ।
- 17- अधिशासी निदेशक उ०प्र० तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
- 18- निदेशक, चिकित्सा उपचार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 19- निदेशक सी०एच०सी०/पी०एच०सी०, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 20- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 21- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 22- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र०।
- 23- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 24- समस्त अनुभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० शासन।
- 25- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
 (राम नगीना मौर्य)
 संयुक्त सचिव।